

# न्यायालय - भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी

दा० खा० अपील वाद सं०- 10/2020-21

प्रमोद कुमार पिता श्री जय गोविन्द पंडित

- अपीलकर्ता

ग्राम-साई बिहार, सेल सिटी, थाना-जगरनाथपुर, जिला-राँची।

बनाम्

अंचल अधिकारी, कर्रा।


- विपक्षी


आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई																				
09.11.20	<p>अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>आवेदक ने वर्तमान वाद दा० खा० वाद सं०-577R27/19-20 में अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.19 के विरुद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लोधमा</td> <td>कर्रा 162</td> <td>50</td> <td>01</td> <td>0.81½</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>49</td> <td>0.18½</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कर्रा के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने को सुनवाई का पर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा० खा० अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि मौजा-लोधमा, थाना-कर्रा के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 1.00 एकड़ है जिसे भोलानाथ सिंह पिता स्व० रामनाथ सिंह वो मुरारी प्रसाद सिंह पिता स्व० रामनाथ सिंह ग्राम-हाकाजांग, थाना-कर्रा से विक्रय पट्टा सं० 434/417 दिनांक 29.03.2011 से क्रय की गयी है। वर्णित जमीन RS खतियानी में धीरजु राम कोटवार का नावलद स्वर्गवास हो गया वो धीरजु राम कोटवार के भई खतियानी रैयत के वंशजों के बीच भूखण्ड के आपसी बँटवारा हेतु माननीय सबजज-1, खूँटी के न्यायालय में बँटवारा वाद सं०- 56/1981 में दिनांक 28.07.05 को पारित डिग्री आदेश एवं इजराय वाद सं०- 10/2005 में 13.04.2007 द्वारा पारित आदेश से उपरोक्त खाता नं०- 50, प्लॉट नं०- 01, रकबा- 1.63 एकड़ वो प्लॉट नं०- 49, रकबा- 3.02 एकड़ में 2.17 एकड़ विक्रेतागण को हिस्सा में प्राप्त हुआ।</p> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि पर आवेदक का स्पष्ट दखल नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p>	मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)	लोधमा	कर्रा 162	50	01	0.81½			50	49	0.18½					<b>1.00</b>	
मौजा	थाना/थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा(एकड़ में)																		
लोधमा	कर्रा 162	50	01	0.81½																		
		50	49	0.18½																		
				<b>1.00</b>																		

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की इजराय वाद सं०- 10/2  
में दिनांक 13.04.2007 को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आदेश से स्पष्ट है  
कि अंचल अधिकारी, कर्ग द्वारा 13.03.07 को उपरोक्त जमीन पर दखल  
दिलाया गया है। अंत में अधिवक्ता द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत करने का  
प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का  
अवलोकन करने के पश्चात् पर्याप्त आधार पाते हुए अपीलकर्ता का अपील  
स्वीकार किया जाता है। अंचल अधिकारी, कर्ग को आदेश दिया जाता है कि  
अपीलकर्ता के नाम दाखिल खारिज करते हुए पंजी 2 में दर्ज कर सरकारी  
रसीद निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
खूँटी।